

परियोजना या स्कीम की अवस्थिति:- जनपद चमोली में कुलसारी-नेल-ढालू मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.288 है0 (लम्बाई 4.125 किमी0)	
(i). राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उत्तराखण्ड
(ii) जिला	चमोली
(iii) जिला वन प्रभाग	दग्धीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
(iv) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जानी वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र	2.288 है0 (2.246 है0 सिविल सोयम भूमि व 0.042 है0 वन पंचायत भूमि)
2- पूर्वक्षण के लिए पहचानी गई नई वन भूमि की विधिक प्रसिद्धि	सिविल/वन पंचायत
3- अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वनभूमि में उपलब्ध वनस्पति का व्यौरा-	संलग्न।
(i) वन का प्रकार	सिविल/वन पंचायत।
(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व	0.3
(iii) प्रजातिवार स्थलवार या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिणामना।	संलग्न।
(iv) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जानी वाली वन भूमि को कार्यकरण योजना का नुस्खा	संलग्न।
4- भूकरण के लिए पूर्वक्षण हेतु उपयोग की जानी वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीर्षता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट संलग्न।
5- वनभूमि की सीमा से पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जानी प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी	1.50 किमी0
6- वन्यजीव की दृष्टि से पूर्वक्षण में उपयोग की जानी वाली प्रस्तावित वन भूमि को महत्वा	नहीं।
(i) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जानी वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का व्यौरा	नहीं।
(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य जैवक्षेत्र आरक्षण, व्याधि रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपावट्ट किए जाने में मुख्य वन्यजीव जीव वार्डन की टीका-टिप्पणी उपावट्ट की जाय)	नहीं।
(iii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य जैवक्षेत्र आरक्षण, व्याधि रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जानी वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस किमी0 के भीतर अवस्थित है (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्यजीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपावट्ट की जाए)	नहीं। नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क की निकटतम हवाई दूरी 37.90 किमी0 है।
(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याधि रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जानी वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक किमी0 के भीतर अवस्थित है (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्यजीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपावट्ट की जाए)	नहीं।
(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जन्तु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, तो उसके ब्यौरे	नहीं।

7- क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्त्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपायद्वारा किए जाने के लिए स्वक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ उसका ब्यौरा दें।)	नहीं।
8- पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियाँ दे।	निम्नानुसार।
(i) क्या भाग-1 के पैरा 6 और 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए आते न्यूनतम हैं।	न्यूनतम है।
(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।	यादिका भूमि न्यूनतम है।
9- किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे:-	
(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य की किया गया है (हां/ नहीं)	नहीं।
(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्भूत वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम, पते और पदनाम राहित अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के बिल्ड दी गई कार्रवाई।	नहीं।
(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति है (हां/ नहीं)	नहीं।
10- क्षतिपूरक वनरोपण स्क्रीन के ब्यौरे:-	
(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रतिरक्षण, अवनत वन भूमि। (पिण्डरपार-3 कक्ष स0-4)	
(ii) अवरिक्षण, सर्वेक्षण या कम्पाटमेट या खरारा स0 क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन बाब्र दो उच्चतर वन जैसे द्वारे दें। नीला सिविल 4576 है।	
(iii) क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र के लिए पचान किए गए गैर दनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 भाष्य के मूल में स्थल परत भारत का सर्वक्षण और समीप वन सीमाएं संलग्न है।	प्रस्ताव में संलग्न।
(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्क्रीन के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/ नहीं)	प्रस्ताव में संलग्न।
(v) क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्क्रीन के लिए नुल विलीय उपरियोग:-	प्राक्कलन के अनुसार।
(vi) क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए प्रबन्धन के दृष्टिकोण से पहचान किए गए क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में संबद्ध उप वन संरक्षण से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हां/ नहीं)	प्रस्ताव में संलग्न।
11- वनस्पति और जीवजन्तु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधान से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की रक्षण निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है। (हां/ नहीं)	नहीं।
12- स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की जनहित में सत्तुति दी जाती है। विनिर्दिष्ट सिफारिशें।	

स्थान:- गोपेश्वर।

दिनांक- 30/07/20


 प्रभग्या वनाधिकारी,
 बद्रीप्रभग्या वनाधिकारी
 बद्रीनाथ वन प्रमाण-पत्र
 (द्वारा)